न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः— 12/16/2024 रजू दिनांकः 10.01.2024 रजि0 न0 2024/21

अपीलार्थीः—

श्री प्रदीप गोयल पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश गोयल केयर ऑफ मै0 श्रीराम इन्डस्ट्रीज, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर, जिला अलवर—301001 (राज0)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 13.02.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/206 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 18.10.2023 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय के पत्रांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/2305 दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से किए गये विनिश्चय पर असंतोष वयक्त किया है। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में सूचना आवेदन दिनांक 18.10.2023 में वांछित आदेश/जानकारी विशिष्टीकृत, चिन्हित नहीं है, काल्पनिक, बहुआयामी, खोजबीन कर उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना है, जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के आलोक में देय नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण का विनिश्चय कर अपील अपीलार्थी को जवाब उपलब्ध कराया जा चुका है अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)